UPBP010017362026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), बलरामपुर।
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–608/2026
सी०एन०आर० संख्या– यू०पी०बी०पी० 010017362026

1. मो० इस्लाम आयु करीब 62 वर्ष पुत्र समीम मोहम्मद
2. रियाज आयु करीब 36 वर्ष पुत्र मो० इस्लाम
3. खातुन्निशा आयु करीब 56 वर्ष पत्नी मो० इस्लाम

समस्त निवासीगण ग्राम नचौरा लक्ष्मीनगर थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ०प्र०राज्य .....विपक्षी।

अपराध सं०–39/2026
धारा–108, 351(3) भा०न्या०संहिता/
(306, 506 IPC)
थाना–तुलसीपुर
जनपद–बलरामपुर।

दिनांक–02.06.2026

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण मो० इस्लाम, रियाज व खातुन्निशा की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मय शपथपत्र मुकदमा अपराध संख्या–39/2026 अन्तर्गत धारा–108, 351(3) भा०न्या०संहिता/ (306, 506 भा०दं० संहिता) थाना –तुलसीपुर, जिला–बलरामपुर में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के अनुसार प्रश्नगत मामले में उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही निरस्त हुआ है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी/सूचनाकर्ता नजबुन्निशा ने दिनांक 28.03.2026 को थाना–तुलसीपुर में इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया कि प्रार्थिनी की पुत्री के साथ अदनान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम नचौरा थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर द्वारा बलात्कार की घटना कुछ माह पूर्व कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में प्रार्थिनी द्वारा थाना तुलसीपुर पर मु०अ०सं०–175/2025 पंजीकृत करायी थी। दिनांक 24.02.2026 को न्यायालय पर प्रार्थिनी की पुत्री साक्ष्य हेतु गयी थी वहां से लौटने के बाद अदनान के परिवार के 1. इस्लाम पुत्र अजात 2. कैसरजहां पत्नी धुन्ने 3. रियाज पुत्र इस्लाम व इस्लाम की पत्नी द्वारा प्रार्थिनी की पुत्री को जान से मारने और अदनान के जेल

से छूटने के बाद उसकी बाकी बहनों के साथ बलात्कार की घटना कारित कराने की धमकी दी और उपरोक्त सभी लोग उसकी पुत्री को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए मरने के लिए उकसाते रहे, रास्ते में अकेला पाकर रोककर धमकाते थे जिस कारण उसकी पुत्री ने दिनांक 01.03.2026 को इन सबसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद स्वयं को आग लगा लिया और उसके द्वारा आत्महत्या का प्रयास का कारण भी बताया गया जो वीडियो रिकार्डिंग द्वारा वीडियो में संरक्षित है। प्रार्थिनी की पुत्री गम्भीर अवस्था में लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती थी जहां उसकी मृत्यु दिनांक 17.03.2026 को हो गयी। प्रार्थिनी के पूरे परिवार को उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा जान से मारने की धमकी अभी तक बार–बार दी जा रही है । वादिनी के उक्त आशय के प्रार्थनापत्र के आधार पर नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं0–39/2026 अंतर्गत धारा–108, 351(3) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत हुआ। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा केसडायरी एवं थाने से प्राप्त आख्या का सम्यक अवलोकन किया।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती नजबुन्निशा ने दिनांक–28.03.2026 को तथाकथित घटना के सम्बन्ध में थाने पर सूचना दिया कि उसकी लड़की/मृतका जो दिनांक 24.02.2026 को मु०अ०सं० 175/2025 में साक्ष्य देने हेतु न्यायालय में गयी थी तब उसके गांव के विपक्षीगण ने जान से मारने के लिये धमकी दिया आदि का वीडियो रिकार्डिंग उसके पास में है परन्तु उक्त वीडियो रिकार्डिंग का जिक्र वादिनी मुकदमा ने दिनांक 24.02.2026 से मृत्यु दिनांक 17.03.2026 तक किसी भी सक्षम अधिकारी के पास उक्त बातों की सूचना नहीं दी और न जिक्र किया और न ही विवेचक ने भी अपने आज तक के पर्चे में जिक्र किया है इस प्रकार तथाकथित एफ०आई०आर० झूठा फर्जी एवं बनावटी है जो अफसाना की मृत्यु के बाद वादिनी मुकदमा ने स्वयं को बचाने के लिये रंजिशन उठाया है। वादिनी मुकदमा की लड़की की मृत्यु उसके मां–बाप की अभिरक्षा में लखनऊ अस्पताल में हुई है और अफसाना की भर्ती 01.03.2026 को उसके मां बाप द्वारा कराया गया और 17 दिन तक उसका इलाज हुआ और उसके मां बाप वहीं पर मौजूद थे, इस प्रकार 24.02.2026 से 16.03.2026 तक लड़की अफसाना अपने मां बाप की अभिरक्षा एवं रिश्तेदारों तथा डाक्टर की देख रेख में थी इस दौरान वादिनी मुकदमा ने 24.02.2026 से लेकर 16.03.2026 तक 20 दिन के अन्तराल में कभी भी कोई सूचना आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं दिया यदि उक्त बातें मेडिकल अधिकारी या किसी सक्षम अधिकारी से बतायी होती तो मृतका अफसाना का बयान अवश्य रिकार्ड किया जाता लेकिन तथाकथित एफ०आई०आर० फर्जी होने के कारण वादिनी मुकदमा ने किसी समक्ष अधिकारी से नहीं बतायी इस प्रकार तथाकथित एफ०आई०आर०

झूठा फर्जी एवं बनावटी है। लड़की अफसाना की मृत्यु होने के बाद वादिनी मुकदमा तथा उसके परिवार वाले आवेदकगण/अभियुक्तगण का मकान हड़पने के लिये उनके पिता के ऊपर काफी दिनों से दबाव बना रहे थे जिसके कारण तथाकथित अपराध में प्रार्थीगण को नामित करवा दिया। वादिनी मुकदमा ने एफ०आई०आर० के दिनांक से आज तक इस बात का कहीं हवाला नहीं दिया है कि दिनांक 24.02.2026 से 16.03.2026 तक प्रार्थीगण ने मेरी लडकी को जान से मारने के लिये उत्प्रेरित किया था उसके बाद उत्प्रेरित किया या उसके पूर्व उत्प्रेरित किया था विपक्षीगण एवं मेरी लड़की से कब कब किन परिस्थितियों में मुलाकात हुई जबकि मृतका अफसाना 24.02.2026 से 16.03.2026 तक अपने प्राकृतिक माता पिता के अभिरक्षा में थी इस प्रकार आवेदकगण/अभियुक्तगण के ऊपर लगाया गया तथाकथित आरोप झूठा फर्जी एवं बनावटी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण सं० 1 व 2 सीधे साधे मजदूरी व्यक्ति हैं एवं प्रार्थिनी सं० 3 गृहिणी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत कर रहे है कि विवेचना में प्रार्थीगण विवेचक का सहयोग करेगें तथा बुलाने पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे, विवेचक के किसी कार्यों में बेजा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत के बाद न्यायालय में मुकदमे के प्रत्येक कार्य दिवस पर स्वयं व जरिये अधिवक्ता उपस्थित आते रहेंगे। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाय।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया तथा इस आशय का तर्क दिया कि अभियुगक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा की लड़की/मृतका को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, रास्ते में आते–जाते अकेला पाकर रोककर धमकाने के कारण वादिनी मुकदमा की पुत्री ने दिनांक–01.03.2026 स्वयं को आग लगा लिया। मृतका ने अपने मृत्यु कालीन बयान में अभियुक्तगण द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कथन किया है, जिसके कारण मृतका परेशान होकर घर में रखे मोबिल ऑयल अपने ऊपर डालकर स्वयं को आग लगा ली। । पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण Antemortem Burn injury, Septicemia से होना पाया गया है। कारित अपराध अतिगम्भीर प्रकृति का है। अतएव उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

6. प्रस्तुत मामले में आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध यह आरोप है कि अभियुक्तगण के घर के लड़के अदनान के विरुद्ध वादिनी मकुदमा ने उसकी लड़की के साथ बलात्कार किये जाने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके कारण अभियुक्तगण वादिनी मुकदमा की लड़की को न्यायालय में उस मुकदमे में साक्ष्य देने जाते समय उसे धमकाते, रास्ते में आते जाते उसे रोककर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते जिससे परेशान होकर वादिनी मुकदमा की लड़की ने अपने ऊपर मोबिल ऑयल डालकर स्वयं को आग लगा लिया, फलस्वरूप इलाज के दौरान दिनांक–17.03.2026 को उसकी मृत्यु हो गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार

मृतका की मृत्यु का कारण Antemortem Burn injury, Septicemia से होना पाया गया है। केस डायरी उपलब्ध साक्ष्य से आवेदकगण/अभियुक्तगण की प्रश्नगत मामले में संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित होती है। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

7. उभय पक्ष के तर्कों, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियोग की गम्भीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने का युक्ति–युक्त आधार प्रर्याप्त नहीं है। अस्तु उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण मो० इस्लाम, रियाज व खातुन्निशा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–39/2026 अन्तर्गत धारा–108, 351(3) भा०न्या०संहिता/ (306, 506 भा०दं० संहिता) थाना –तुलसीपुर, जिला–बलरामपुर में प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है

दिनांक–02.06.2026

(**सुमित प्रेमी**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
बलरामपुर।
JO Code- UP 1774

Digitally signed by SUMIT PREMI
Date: 2026.06.02 17:17:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court